



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28052021-227216
CG-MH-E-28052021-227216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2021/ज्येष्ठ 7, 1943

No. 207]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2021/JYAISHTHA 7, 1943

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 24 मई 2021

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधारकर्ता और उधारदाता) (संशोधन) विनियमावली, 2021

सं.फेमा 3(आर)2/2021-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 17 दिसम्बर 2018 की अधिसूचना सं. फेमा.3(आर)/2018-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधारकर्ता और उधारदाता) विनियमावली, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :

2. लघुशीर्षक और प्रवर्तन: -

- (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधारकर्ता और उधारदाता) (संशोधन) विनियमावली, 2021 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।

3. विनियमों का संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधारकर्ता और उधारदाता) विनियमावली, 2018 के विनियम 7 में , उप-खंड(ii) के बाद खंड (ए) में निम्नलिखित उप-खंड को प्रविष्ट किया जाएगा :

“iii) भारत में कोई ए.डी. भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को ऐसा उधार दे सकता है, जिससे भारत से बाहर रहने वाला व्यक्ति सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए किए गए लेनदेन के निपटान के संबंध में मार्जिन भुगतान करता है, इस बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तें लागू होंगी।

स्पष्टीकरण :

‘सरकारी प्रतिभूति’ अभिव्यक्ति का वही आशय होगा जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 2(एफ) में निर्धारित किया गया है और ‘प्रतिभूतियों’ शब्द का भी उसी के अनुसार अर्थ लिया जाएगा।

डिंपल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./71/2021-22]

फुट नोट: प्रमुख विनियमावली का प्रकाशन शासकीय राजपत्र, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 17 दिसम्बर 2018 के जी.एस.आर.सं.1213(अ) के माध्यम से किया गया था और तदुपरांत इसमें-दिनांक 26-02-2019 की जी.एस.आर सं.163(अ) के माध्यम से संशोधन किए गए।

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

MUMBAI, the 24th May 2021

Foreign Exchange Management (Borrowing and lending) (Amendment) Regulations, 2021

No. FEMA. 3(R)/2021-RB.—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 3(R)/2018-RB dated December 17, 2018, the Reserve Bank makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018, as amended from time to time, namely:

2. Short title and commencement: -

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) (Amendment) Regulations, 2021
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment of the regulations: -

- (i) In the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018, in regulation 7, in clause (A), after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely:

“iii) An AD in India may lend to a person resident outside India for making margin payments in respect of settlement of transactions involving Government Securities by the person resident outside India, subject to such terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank.

Explanation:

The expression ‘Government Security’ shall have the same meaning as assigned to it in Section 2(f) of Government Securities Act, 2006, and the word ‘securities’ shall be construed accordingly.

DIMPLE BHANDIA, Chief General Manager

[ADVT. III/4/Exty./71/2021-22]

Foot Note: The Principal Regulation was published in the Official Gazette vide G.S.R.No.1213(E) dated December 17, 2018 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended vide – G.S.R No. 163(E) dated 26.02.2019